न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 52/2020 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. चांदी पुत्री हजारी बैरवा
2. मांगु आत्मज हजारी बैरवा
3. रामा आत्मज हजारी बैरवा

सर्व निवासी मण्डपिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशी लाल आत्मज मदन बैरवा
2. गणेश आत्मज मदन बैरवा
3. हीरालाल आत्मज भोना बैरवा
4. मांगीलाल आत्मज उदयराम जाट

सर्व निवासी मण्डपिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री भोलाराम माली
अधिवक्ता विपक्षीगणः–.......................

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–31.07.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 487 रकबा 0.06 हे0, 488 रकबा 0.01 हे0, 489 रकबा 0.01 हे0, 490 रकबा 0.04 हे0 491 रकबा 0.05 हे0, 492 रकबा 0.10 हे0, 493 रकबा 0.30 हे0, 494 रकबा 0.25 हे0, 495 रकबा 0.01 हे0, 496 रकबा 0.48 हे0, 497 रकबा 0.20 हे0, 498 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 12 कुल रकबा 1.76 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 798 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। वि[illegible] 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दि[illegible]ये। [illegible]र्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:35:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 52/2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

वाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 487 रकबा 0.06 हे0, 488 रकबा 0.01 हे0, 489 रकबा 0.01 हे0, 490 रकबा 0.04 हे0 491 रकबा 0.05 हे0, 492 रकबा 0.10 हे0, 493 रकबा 0.30 हे0, 494 रकबा 0.25 हे0, 495 रकबा 0.01 हे0, 496 रकबा 0.48 हे0, 497 रकबा 0.20 हे0, 498 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 12 कुल रकबा 1.76 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 798 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर. टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 650/— (छः सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 650/— (छः सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:35:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner